समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–04 / 2019–20
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
ओंकार राम एवं अन्य
–::आदेश::–

05.12.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–1508, दिनांक–18.04.2019 के द्वारा बेरमों थाना कांड सं0–204 / 2018 दिनांक–23.12.2018, धारा–379 / 411 / 413 / 34 भा0द0वि0 एवं 30(I I) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत जप्त ट्रक सं0–JH-02Z-2513 तथा उस पर लदे 18 टन कोयला के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन एवं कोयला को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक पंजीयन सं0–JH-02Z-2513 के मालिक सहोदरी देवी चालक काशीनाथ मिश्रा एवं ओंकार राम के विरूद्ध अवैध कोयला ट्रक में लोड कर ले जाने के क्रम में रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है। कांड के अनुसंधान, घटनास्थल के निरीक्षण, वादी एवं गवाहों के बयान तथा पर्यवेक्षण से यह कांड धारा–379 / 411 / 413 / 34 भा0द0वि0 एवं 30(I I) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत सत्य पाया गया है। अवैध तरीके से कोयले का परिवहन करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन / परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–2586/न्या0 दिनांक–13.09.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि ट्रक पंजीयन सं0–JH-02Z-2513 (कोयला छोड़कर) को मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat के द्वारा दिनांक–08.06.2019 को सशर्त विमुक्त किया जा चुका है।

सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat के द्वारा ट्रक पंजीयन सं0– JH-02Z-2513 (कोयला छोड़कर) को दिनांक–08.06.2019 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। विपक्षी के द्वारा भी इस वाद में कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कोई कारण–पृछा दाखिल नहीं किया गया है। जबकि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक–02.08.2022 को अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। स्पष्टतः उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। वाहन पर लदा लगभग 18 टन कोयला के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–1508, दिनांक–18.04.2019 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए 18 टन कोयला (वाहन छोड़कर) राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि जप्त कुल 18 टन कोयला को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चत करेंगें। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

05.12.2022 | 05.12.2022
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.18 15:26:26 +05:30
Location: 192.168.249.234